(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–1453–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–09–2009 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–22/पुर्न0/2008–09

.....

सनत कुमार तनय वंशबहादुर
निवासी–ग्राम मलदेवा तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी, म0प्र0

------अपीलार्थी

विरूद्ध

1– हनुमान प्रसाद तनय केशरी प्रसाद(मृतक) वारिसान

1. देववती पत्नी स्व0 हनुमान प्रसाद
2. कृपाशंकर द्विवेदी तनय स्व0 हनुमान प्रसाद
3. बृजभूषण द्विवेदी तनय स्व0 हनुमान प्रसाद
4. संजय द्विवेदी तनय स्व0 हनुमान प्रसाद

निवासीगण–ग्राम मलदेवा तहसील रामपुर नैकिन
जिला–सीधी, म0प्र0

2– शासन मध्यप्रदेश द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय, सीधी(म0प्र0)

------प्रत्यर्थीगण

.....

श्री ए0पी0 तिवारी अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09/6/2017 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–09–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील मेमों में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रत्यर्थीगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 23/2001–02/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.01.2002 के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी क्रमांक 291/2001–02 प्रस्तुत की गई । सुनवाई के दौरान अपीलांट के अभिभाषक दिनांक 31.08.2009 को अनुपस्थित रहे, जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया एवं पुर्नस्थापन आवेदन देने पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 08.09.2009 से पुर्नस्थापन आवेदन भी निरस्त कर दिया जो बेआधार है इसलिये अपील स्वीकार की जावे ।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट ने कलेक्टर सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2001–02/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.01.2002 के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है जो प्रकरण क्रमांक 291/2001–02 पर पंजीबद्ध हुई है। सुनवाई के दौरान अपीलांट के अभिभाषक दिनांक 31.08.2009 को अनुपस्थित रहे है, जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलांट के अभिभाषक ने संहिता की धारा 35(3) का आवेदन प्रकरण के पुर्नस्थापित करने हेतु दिनांक 01.09.2009 को प्रस्तुत किया है जिसे आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 08.09.2009 से निरस्त किया है। पुर्नस्थापन आवेदन में बताया गया कि अपीलांट के अभिभाषक अन्य न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे तथा उन्होंने अदम पैरवी आदेश दिनांक 31.08.2009 के आगामी दिनांक 01.09.2009 को पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत कर दिया । सामान्य सिद्धांत है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार दण्डित न होने पावे–न्यायालय को ध्यान देना चाहिये । प्रहलाद विरूद्ध लालराम 1980 राजस्व निर्णय 111 का दृष्टांत है कि अधिवक्त की त्रुटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता । यदि इस परिप्रेक्ष्य में आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 08.09.2009 पर विचार किया जाये । आयुक्त आदेश उचित नहीं माना जा सकता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 31.08.2009 एवं दिनांक 08.09.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा आयुक्त

रीवा के समक्ष अदम पैरवी में खारिज आदेश दिनांक 31.08.2009 पुर्नस्थापित किया जाता है तथा आयुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,